दिनांक 6.07.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के विकास खण्ड सांगीपुर स्थित "निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राहाटीकर" के निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी ।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 6.07.2016 को पूर्वान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ लालगंज विकास खण्ड सांगीपुर के ग्राम राहाटीकर में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, श्री वाई0बी0 सिंह मुख्य विकास अधिकारी, डा0 यू0के0 पाण्डेय प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री अतुल श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता आवास विकास, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

1. निरीक्षण के दौरान श्री अतुल श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त केन्द्र का निर्माण माह मार्च 2015 में स्वीकृत है जिसकी लागत 98.42 लाख रुपये है। लागत के सापेक्ष अभी तक 49.21 लाख रुपये अवमुक्त किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि कार्य प्रारम्भ की तिथि माह जून 2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि माह दिसम्बर 2016 है तथा उक्त धनराशि के अन्तर्गत मुख्य भवन 01 नग, चिकित्साधिकारी आवास 01 नग, टाइप–2 के 02 आवास, टाइप–1 के 02 आवास, चहारदीवारी, पानी की टंकी आदि कार्य स्वीकृत है।

2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्वास्थ्य का अभी तक मात्र मुख्य भवन का

———————2

लिण्टर डाला गया है जिसमें अन्दर की तरफ प्लास्टर का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित सहायक अभियन्ता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को निर्देशित किया गया कि उक्त प्लास्टर एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री आदि का नमूना परीक्षण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त भवन में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अभी तक कराये गये कार्य एवं व्यय धनराशि का परीक्षण कर अपनी सुस्पष्ट आख्या एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

3. निरीक्षण के दौरान श्री अतुल श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चिकित्सालय के चहारदीवारी के निर्माण हेतु नींव खुदाई कराते समय कतिपय लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न कर कार्य रुकवा दिया गया, जिसके कारण अभी तक कार्य अवरुद्ध है। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित उप जिलाधिकारी लालगंज तथा उप निरीक्षक उदयपुर को निर्देशित किया गया कि स्वयं की उपस्थिति में आज ही नियमानुसार चहारीदीवारी की नींव खुदाई कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को 03 दिवस के भीतर अद्यावधिक स्थिति फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर कराना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

(12)

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 1528/शिविर–2016 दिनांक : जुलाई 07, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार लालगंज, प्रतापगढ़।
7. जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़/खण्ड विकास अधिकारी सांगीपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़।
10. थानाध्यक्ष उदयपुर/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।